समाहरणालय लखीसराय
(जिला गोपनीय शाखा)

बिहार सरकार

आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक–29.07.2020 को अनलॉक–03 के निमित्त दिशा–निर्देश जारी किया गया है। उक्त आदेश में राज्य सरकार को स्थिति के आधार पर कन्टेन्मेंट जोन के बाहर आवश्यकतानुसार गतिविधि को प्रतिबंधित/सीमित करने की शक्ति दी गयी है।

उपरोक्त के आलोक में विशेष सचिव, गृह विभाग(विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–जी/आपदा–06–06/2020–102(वि0स0को0), दिनांक–30.07.2020 द्वारा कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत दिशा–निर्देश के निमित्त राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया गया है। पुनः राज्य में कोविड–19 कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए सरकार के अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020–351/अ0मु0स0को0, दिनांक–17.08.2020 के द्वारा इस आदेश को दिनांक–06.09.2020 तक विस्तारित किया गया है।

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1775/गो0, दिनांक–17.08.2020, ज्ञापांक–1786/गो0, दिनांक–18.08.2020 एवं ज्ञापांक–1796/गो0, दिनांक–19.08.2020 के द्वारा उक्त के आलोक में आदेश निर्गत किया गया है। कोरोना संक्रमण के प्रभावी प्रबंधन के उद्देश्य से उच्च स्तरीय निदेश के आलोक में पूर्व में **निर्गत आदेश की कंडिका–05 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :–**

क0	दुकान/प्रतिष्ठान	दुकान खोलने की पुनर्निर्धारित अवधि	अभ्युक्ति
1	सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ/गैर आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान (प्रत्येक दिवस)	10:00 AM to 06:00 PM	(i) शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। (ii) रेस्टोरेन्ट, ढाबा, भोजनालय में केवल Home delivery/Take away service की अनुमति होगी। (iii) प्रत्येक रविवार को आवश्यक वस्तुओं से संबंधित प्रतिष्ठान(सुधा मिल्क पार्लर सहित) को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी। (iv) संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान मास्क/सैनिटाईजर के उपयोग के साथ–साथ सामाजिक दूरी बनाते हुए निर्धारित समय पर ही संचालित होंगे।
2	राशन की दुकान (पी0डी0एस0 सहित) खाद्य से संबंधित सभी किराने के सामान, पशु चारा, कृषि उत्पादन, कीटनाशक, उर्वरक, खेत पटवन की दुकानें, विनिर्माण संबंधी दुकानें सहित सभी आवश्यक सामग्रियों की दुकानें एवं प्रतिष्ठान (प्रत्येक दिवस)	10:00 AM to 06:00 PM	
3	सुधा मिल्क पार्लर (प्रत्येक दिवस)	06:00 AM to 10:00 AM 04:00 PM to 08:00 PM	
4	फल एवं सब्जी की दुकानें/मंडी तथा मीट एवं मछली की दुकान (प्रत्येक दिवस)	06:00 AM to 10:00 AM	
5	दवा दुकान/अस्पताल/नर्सिंग होम इत्यादि, अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान/ संस्थान (प्रत्येक दिवस)	प्रतिष्ठान के खोलने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है 24 घंटे संचालित रहेंगे।	

इन सभी को होम डिलिवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि लोगों के घर से बाहर आवाजाही को न्यूनतम किया जा सके।

पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक–1775/गो0, दिनांक–17.08.2020, ज्ञापांक–1786/गो0, दिनांक–18.08.2020 एवं ज्ञापांक–1796/गो0, दिनांक–19.08.2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाए। अन्य सभी कंडिकाएँ यथावत् लागू रहेंगे।

22/08/20 — पुलिस अधीक्षक, लखीसराय।

22/8/20 — जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।

ज्ञापांक 1834 /गो0, लखीसराय, दिनांक :– 22-8-2020

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, लखीसराय/अपर समाहर्त्ता, लखीसराय/सिविल सर्जन, लखीसराय/ अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय/जिला भू–अर्जन पदा0/जिला पंचायत राज

☎ 06346-232124 (O)/232490 (R)
Fax – 0641-232767
E-mail ID: dm-lakhisarai.bih@nic.in

Scanned with CamScanner

पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/जिला जन संपर्क पदाधिकारी, लखीसराय/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,ICDS/कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, बड़हिया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, लखीसराय एवं अन्य सभी जिलास्तरीय/अनुमंडल स्तरीय कार्यालयों के नियंत्री पदाधिकारियों/सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, समाहरणालय, लखीसराय/प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लखीराय/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय/सभी अभियंत्रण विभाग, लखीसराय/मोटरयान निरीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सभी प्रखंड सहकारिता पदा0/ सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लखीसराय/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, लखीसराय/सभी थानाध्यक्ष, लखीसराय जिला/सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय/सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/पुलिस महानिरीक्षक, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/पुलिस उप–महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/08/20 — 22/8/20

पुलिस अधीक्षक, लखीसराय। — जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।

Scanned with CamScanner